

न्यायालय सहायक कलेक्टर शेरगढ जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महावीरसिंह जोधा (आर ए एस)

प्रकरण संख्या दायर दिनांक निर्णय दिनांक

19/2018 02.02.2018 12/7/19

1. धुडरिह पुत्र श्री हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी सोहनसिंहनगर (चाबा) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
2. नारायणसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी सोहनसिंहनगर (चाबा) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र हुकमसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र हुकमसिंह
3. मलसिंह पुत्र नगसिंह
4. देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह
5. अन्तर कंवर पत्नी भंवरसिंह
6. सागरकंवर पत्नी खीमसिंह
7. जेटूकंवर पत्नी पदमसिंह सभीजातीयान राजपूत निवासीगण सोहनसिंहनगर (चाबा) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
8. हरिसिंह पुत्र फतेहसिंह
9. भैरूसिंह पुत्र सोहनसिंह सभीजातीयान राजपूत निवासीगण सुवालिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
10. उप फंजीचक शेरगढ
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


1. वादीगण अधिवक्ता श्री विजयनाथ उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री इन्द्राराम बोस उपस्थित
4. प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की ओर से राज परोकार तहसीलदार शेरगढ उपस्थित।

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.05.2018 को तहसीलदार शेरगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया गया कि खसरा नम्बर 325 मौजा सोहनसिंहनगर पटवार हल्का चाबा में उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्टा एण्ड वाउण्डस के आधार पर बँटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे ।

प्रकरण में तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 27.02.2019 को बँटवाडा प्रस्ताव तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।




सहायक कलेक्टर शेरगढ
जिला जोधपुर

प्रकरण में अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। बहस एवं तहसीलदार शेरगढ़ की रिपोर्ट पर मन्न करन के पश्चात न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि तहसीलदार शेरगढ़ की बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार आराजीयात का निम्नानुसार बंटवाडा किया जाता है।

क्र.	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा बीघा	किस्म	लगा न
1	धूडसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी सोहनसिंह (घावा) के हिस्से की भूमि	325/3 325	34.02 10.10	बा बा	5.35
2	नारायणसिंह पुत्र हुकमसिंह के हिस्से की भूमि	325/9 325/14	20.00 24.12	बा बा	5.35
3	रूपसिंह पुत्र हुकमसिंह के हिस्से की भूमि	325/8 325/4	16.00 18.12	बा बा	4.15
4	नरपतसिंह पुत्र हुकमसिंह के हिस्से की भूमि	325/7	44.12	बा	3.35
5	हरीसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपूत निवासी की भूमि	325/16	10.00	बा	1.20
6	मलसिंह पुत्र नगसिंह राजपूत के हिस्से की भूमि	325/5 325/12	31.05 22.13	बा बा	6.47
7	जेतूकंवर पत्नी पदमसिंह जाति राजपूत की भूमि	325/11	12.00	बा	1.44
8	देवीसिंह पुत्र भवरसिंह 459/0879 हि. अन्तरकंवर पत्नी भवरसिंह 420/0879 हि. जाति राजपूत के हिस्से की भूमि	325/6 325/13	10.00 33.19	बा बा	5.28
9	भैरूसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत की भूमि	325/15	10.00	बा	1.20
10	सागरकंवर पत्नी खीनसिंह राजपूत की भूमि	325/10	12.00	बा	1.44
11	नरपतसिंह , रूपसिंह , धूडसिंह , नारायणसिंह पि. हुकमसिंह 1/2 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	325/2	2.15	बा	0.33

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी को मौजा सोहनसिंहनगर में स्थित उपरोक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवाडा रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेडजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।



(महावीरसिंह जोधा)
सहायक कलेक्टर शेरगढ़
जिला मोजोपुर

(आदेश 21 के नियम 6 अंश 7 जादी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर शेरगढ जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महावीरसिंह जोधा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 19/2018 दायर दिनांक 02.02.2018 निर्णय दिनांक 12/1/19

1. धुडरिह पुत्र श्री हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी सोहनसिहनगर (चावा) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
2. नारायणसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी सोहनसिहनगर (चावा) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र हुकमसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र हुकमसिंह
3. मलसिंह पुत्र नगसिंह
4. देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह
5. अन्तर कंवर पत्नी भंवरसिंह
6. सागरकंवर पत्नी खीमसिंह
7. जेटूकंवर पत्नी पदमसिंह सभीजातीयान राजपूत निवासीगण सोहनसिहनगर (चावा) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
8. हरिसिंह पुत्र फतेहसिंह
9. भैरुसिंह पुत्र सोहनसिंह सभीजातीयान राजपूत निवासीगण सुवालिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
10. उप पंजीयक शेरगढ
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 138 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. वादीगण अधिवक्ता श्री विजयनाथ उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री इन्द्राराम बोस उपस्थित
2. प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की ओर से राज परोकार तहसीलदार शेरगढ उपस्थित।

तहसीलदार शेरगढ की बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार आराजीयात का निम्नानुसार बंटवाडा किया जाता है ।

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा बीघा	किस्म	लगान
1	धुडसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी सोहनसिंह (चावा) के हिस्से की भूमि	325/3 325	34.02 10.10	वा II वा II	5.35



सहायक कलेक्टर शेरगढ
जिला जोधपुर

नारायणसिंह पुत्र हुकमसिंह के हिस्से की भूमि	325/9 325/14	20.00 24.12	वा वा	5.35
रूपसिंह पुत्र हुकमसिंह के हिस्से की भूमि	325/8 325/4	16.00 18.12	वा वा	4.15
नरपतसिंह पुत्र हुकमसिंह के हिस्से की भूमि	325/7	44.12	वा	3.35
हरीसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपूत निवासी की भूमि	325/16	10.00	वा	1.20
मलसिंह पुत्र नगसिंह राजपूत के हिस्से की भूमि	325/5 325/12	31.05 22.13	वा वा	6.47
जेतूकंवर पत्नी पदमसिंह जाति राजपूत की भूमि	325/11	12.00	वा	1.44
देवीसिंह पुत्र भवरसिंह 459/0879 हि. अन्तरकंवर पत्नी भवरसिंह 420/0879 हि. जाति राजपूत के हिस्से की भूमि	325/6 325/13	10.00 33.19	वा वा	5.28
भैरूसिंह पुत्र सोहनसिंह राजपूत की भूमि	325/15	10.00	वा	1.20
सागरकंवर पत्नी खीनसिंह राजपूत की भूमि	325/10	12.00	वा	1.44
नरपतसिंह , रूपसिंह , धूडसिंह , नारायणसिंह पि. हुकमसिंह 1/2 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	325/2	2.15	वा	0.33

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी को मौजा सोहनसिंहनगर में स्थित उपरोक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । बँटवाडा रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । फाईनल डिक्री जारी हो । और इस वाद के खर्चे लेखे ...रुपये की राशिआज तारीख से वसूली की तारीख तक उस परप्रतिशत की दर से ब्याज सहितद्वाराको दी जाये । यह आज दिनांक 12 माह 07 रान् 2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई ।



हस्ताक्षर न्यायाधीश
पद
जिला जोधपुर